पंचम अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय–5

निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 भूमिका

प्रस्तुत अध्याय में अध्याय–4 में किये गये प्रदत्तों का विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर निष्कर्ष एवं सुझाव देने का प्रयत्न किया गया हैं। शोधकर्ता द्वारा अभिभावकों का बच्चों के प्रति रूढ़िबद्ध व्यवहार के आधार पर लिंग पक्षपात, लिंगआचरण और लिंग समानता को ध्यान में रखकर निम्न निष्कर्ष एवं सुझाव दिये गये हैं।

5.2 निष्कर्ष

उद्‌देश्य–1

''अभिभावकों का लड़कों के प्रति रूढ़िबद्ध व्यवहार का अध्ययन करना''

– प्रस्तुत शोधकार्य में इस उद्‌देश्य से सम्बंद्धित निर्धारण मापनी में विधान नं. 2, 4, 6, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24 तथा 'वैकल्पिक प्रश्नावली में प्रश्न नं. 1, 7, 12, 14, 15 तथा 'वर्णनात्मक प्रश्नावली' में प्रश्न नं. 2, 3, 8, 11, 17 हैं। उसका निष्कर्ष निम्नप्रकार निकलता है।

निष्कर्ष

अधिकतर अभिभावक लड़कों से घर के बहार के कार्य कराते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, बैंक, खरीदी, आदि। जबकि घर के अन्दर के कामः जैसे कि झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना आदि लड़कों से नहीं करवाते इससे यह निष्कर्ष निकलता हैं कि शिक्षित अभिभावक भी लड़कों से रूढ़िबद्ध काम करवाते हैं जो पारंपरिक रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं।

अधिकतर अभिभावक शादी के बाद लड़के को पिताजी के घर और लड़की को ससुराल में रहना चाहिए ऐसा मानते हैं। इसका निष्कर्ष यह हुआ की अधिकतर अभिभावक अभी भी लड़के की रूढ़िबद्ध भूमि का पक्ष लेकर लैंगिक पक्षपात रखते हैं।

शिक्षा के विषय में या बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बारे में अधिकतर अभिभावकों का बच्चों के प्रति व्यवहार लिंग हितेच्छुक हैं। यह बात बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए सही हैं।

उद्‌देश्य–2

"अभिभावकों का लड़कियों के प्रति रूढ़िबद्ध व्यवहार का अध्ययन करना"

– प्रस्तुत शोधकार्य में इस उद्‌देश्य से सम्बंधित निर्धारण मापनी में विधान नं. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27 तथा 'वैकल्पिक प्रश्नावली' में प्रश्न नं. 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16 तथा 'वर्णनात्मक प्रश्नावली' में प्रश्न नं. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 हैं। उसका निष्कर्ष लिंग पक्षपात और लिंग हितेच्छुकता के आधार पर निम्न प्रकार हैं।

निष्कर्ष

अधिकतर अभिभावकों में कपड़े पहनने के विषय में लैंगिक पक्षपात देखने को मिला। शिक्षित अभिभावक भी लड़कियों की पारंपरिक और रूढ़िबद्ध ढंग के कपड़े पहनने के पक्ष में है।

बच्चों की सुरक्षा और आर्थिक भविष्य के विषय में अधिकतर अभिभावकों में 'लैंगिक पक्षपात' हैं। अधिकत्तर अभिभावकों के लड़कों का बैंक में बचत खाता है और बीमा हैं, इससे यह निष्कर्ष निकलता है की आज भी लड़कियों की सुरक्षा और भविष्य को महत्व नहीं दिया जा रहा हैं।

लड़का और लड़की का शैक्षिक पाठ्‌यक्रम के विषय में अधिकतर अभिभावकों की अभिवृत्ति में 'लैंगिक पक्षपात' हैं। जैसे कि नर्स, शिक्षक आदि पाठ्‌यक्रम लड़कियों के लिये और पायलट, वैज्ञानिक आदि पाठ्‌यक्रम लड़कों के लिये अधिक आवश्यक हैं। किन्तु अगर लड़कियों में शैक्षिक अभिवृति और क्षमता है तो अभिभावक उनको प्रोत्साहन देने में लैंगिक हितेच्छुक हैं जो लड़कियों के प्रति अच्छा संकेत है।

उद्देश्य–3

''अभिभावकों की 'लिंग समानता' के प्रति अभिवृति और उसकी समज का अध्ययन करना।

प्रस्तुत शोधकार्य में इस उद्देश्य से सम्बन्धित 'निर्धारण मापनी' में विधान नं. 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 25 तथा 'वैकल्पिक प्रश्नावली' में प्रश्न नं. 6, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तथा 'वर्णनात्मक प्रश्नावली' में 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 हैं। उसका निष्कर्ष निम्न प्रकार निकलता है।

निष्कर्ष

शादी की उम्र के बारे में अधिकतर अभिभावक लड़का–लड़की में समानता नहीं रखते। आज के समय में शिक्षित अभिभावक भी शादी के विषय में परंपरागत और रूढ़िबद्ध अभिवृत्ति रखते हैं जो लड़कियों के प्रति पक्षपातपूर्ण अभिवृत्ति को स्पष्ट करता है।

अधिकतर अभिभावक लड़का और लड़की की बुद्धि और शक्ति समान होती हैं यह नहीं मानते हैं। इस तरह शिक्षित अभिभावक भी लड़का लड़की के बुद्धि और शक्ति के विषय में रूढ़िबद्ध दृष्टिकोण रखते हुए लैंगिक पक्षपात रखते हैं।

अधिकतर अभिभावक राज्य और केन्द्र सरकार में '33 प्रतिशत महिला आरक्षण' के पक्ष में हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलना हैं कि अभिभावक स्त्रीयों को पुरूषों के समान अधिकार देने के लिये 'लैंगिक हितेच्छुक' दृष्टिकोण हैं।

उद्देश्य–4

''अभिभावकों का बच्चों के प्रति 'लिंग आचरण' की तुलना करना।''

प्रस्तुत शोधकार्य में इस उद्देश्य से सम्बन्धित 'निर्धारण मापनी' में विधान नं. 2, 3, 14, 17, 22, 23, 27 तथा 'वैकल्पिक प्रश्नावली' में प्रश्न नं. 1, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 20 तथा 'वर्णनात्मक प्रश्नावली' में प्रश्न नं. 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 हैं। उसका निष्कर्ष निम्न प्रकार निकलता है।

अधिकत्तर अभिभावक लड़कियों से रूढ़िबद्ध 'लिंग आचरण' की अपेक्षा रखते हैं।

जैसे कि लड़कियों से मेहमानों को चाय पानी पिलाने का काम, बर्तन साफ करने का काम आदि कराकें लड़कियों के प्रति 'लैंगिक पक्षपात' रखते हैं।

बच्चों के शैक्षिक प्रवृत्ति के लिए अधिकतर अभिभावक आर्थिक व्यय करने के लिए 'लैंगिक हितेच्छुक' हैं। इससे स्पष्ट होता हैं कि अभिभावक पारंपारिक रूढ़िबद्धता से बहार आ रहे हैं।

5.3 सुझाव

बच्चों के सामाजीकरण में परिवार का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता हैं, और इसमें माता–पिता की भूमिका सबसे अहम होती हैं। भारतीय परिवारों में माता पिताओं में बच्चों के प्रति व्यवहार के बारे में नकारात्मक अभिवृत्ति रूढ़ हो गई हैं। जिसका असर माता–पिता के बच्चों के प्रति दैनंदीन व्यवहार में दिखाई दे रहा हैं। अभिभावक बच्चों के प्रति कैसी अभिवृत्ति रखते हैं और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसका असर बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास पर होता हैं। क्यूंकि बच्चों का 14–15 साल तक मानसिक, सामाजिक और भाषीक विकास अधिक होता हैं और उस समय बच्चों के साथ 'लिंग पक्षपातपूर्ण' व्यवहार होता हैं तो उसका निषेधात्यक असर लंबे समय तक रहता हैं।

आधुनिक युग में शिक्षा और तकनीकी के कारण प्रत्येक क्षेत्र में जागृरूकता दिखाई दे रही हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्रों में लिंग समानता और लिंग हितेच्छुकता को महत्व दिया जा रहा है। इस कारण शिक्षित अभिभावकों में भी लिंग समानता और लिंग हितेच्छुकता के विषय में जागृरूकता का आई हैं। फिर भी हमारी रूढ़ परंपरा, संस्कृति रीति रिवाज के कारण शिक्षित अभिभावकों के व्यवहार ओर अभिवृत्ति में जाने अन्जाने बच्चों के प्रति लिंग पक्षपात हो जाता हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने पाया की अभिभावक बचों के प्रति शिक्षा के बारे में लिंग समानता और लैंगिक हितेच्छुकता रखते हैं, किन्तु आर्थिक पारंपारिक, सामाजिक और लैंगिक आचरण के विषय में लैंगिक पक्षपात रखते हैं। अभिभावकों का बच्चों के प्रति लैंगिक पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने और अभिवृत्ति रखने के कारण बच्चों की मानसिकता पर नकारात्मक असर पड़ता हैं। और इससे बच्चों में भी लैंगिक पक्षपातपूर्ण अभिवृत्ति रूढ़ हो

जाती हैं और आगे वहीं परम्परा चलती रहती हैं।

अभिभावकों को बच्चों के प्रति निम्नप्रकार का व्यवहार करना चाहिए और अभिवृत्ति रखनी चाहिए।

लड़का और लड़की का समान रूप से सामाजीकरण करना अभिभावकों के लिए चुनोतीपूर्ण कार्य हैं, किन्तु बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए लैंगिक रूप से समान सामाजीकरण करना अधिक आवश्यक हैं।

(i) अभिभावकों को कभी भी यह अभिवृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि लड़का और लड़की की बुद्धि और शक्ति असमान होती हैं। और इस नकारात्मक अभिवृत्ति के आधार पर बच्चों के साथ 'लैंगिक पक्षपातपूर्ण' व्यवहार नहीं करना चाहिए।

(ii) अभिभावकों को बच्चों के प्रति लिंग के आधार पर कार्यो में कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। उदहारणार्थ बाजार के काम सिर्फ लड़का ही कर सकते हैं, और चाय पानी तथा झाड़ू लगाने आदि काम लड़की को करना चाहिए। अभिभावकों को ध्यान में रखना चाहिए की जो काम लड़के कर सकता वो लड़कियां अच्छी तरह से कर सकने में सक्षम हैं और लड़कियां जो काम करती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। लिंग के आधार पर कार्यो का वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) अभिभावकों को यह नहीं सोचना चाहिए की लड़का ही परिवार का वारीस बन सकता हैं। माता–पिता की सेवा कर सकता हैं और परिवार का व्यवसाय चला सकता हैं। माता–पिता को सोचना चाहिए कि लड़कियां भी लड़कों से अच्छी वारीस बन सकती है और माता–पिता की सेवा करके परिवार का व्यवसाय अधिक सफलतापूर्वक चला सकती है।

(iv) अभिभावकों को परिवार में ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए और बच्चों को ऐसी कहाँनिया नहीं सुनानी चाहिए, जिससे बच्चों में नकारात्मक लैंगिक अभिवृत्ति का विकास हो। उदाहरण लड़कियां डरपोक होती हैं, लड़की पराई हैं पुत्री का जन्म पिछले जन्म के पाप का परिणाम हैं आदि। ऐसी चर्चा या कहाँनियों से लड़कियों के मन में अपने प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रूढ़ हो जाती हैं।

(v) अभिभावकों को बच्चों के प्रति दैनंदीन व्यवहार में अधिक ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण बंदूक जैसे खिलोने से सिर्फ लड़कों को खेलना चाहिए और गुड़िया जैसे खिलौने से सिर्फ लड़कियां को खेलना चाहिए। इस प्रकार का संकिर्ण विचार ना रखकर दोनों बच्चों की अभिरूची के अनुसार का खिलौने से खेलने देना चाहिए।

(vi) माता–पिता के लिए दोनों बच्चों का भविष्य और सुरक्षा समान हैं इसलिए बचत और बीमा के विषय में समानता पूर्वक निर्णय लेने चाहिए।

(vii) घरेलू कार्य जैसे खाना पकाना, झाडू बर्तन आदि स्त्री का विषय हैं। और घर के बहार के कार्य जैसे बाजार की खरीदी, व्यावसायिक कार्य आदि पुरूषों के काम हैं। ऐसे अभिवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। स्त्री पुरूष दोनों की क्षमता, अभिरूची और कौशल के आधार पर कार्यो का वर्गीकरण करना चाहिए।

(viii) माता–पिता को बच्चों के शैक्षिक भविष्य के लिए उनकी क्षमता, बुद्धि और अभिरूची को ध्यान में रखकर बच्चों को समान प्रोत्साहन देना चाहिए। लिंग के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण 'नर्स' लड़की बन सकतीं हैं और लड़के को पायलट बनना चाहिए।

(ix) माता पिता को बच्चों के खाने पीने और कपड़े पहनने के विषय में समानता रखनी चाहिए। उदाहरण पेन्ट शर्ट लड़कों को पहनना चाहिए और लड़कियों को फ्रोक पहनना चाहिए। बच्चों की पसंदगी को महत्व देना चाहिए।

(x) राजनीतिक क्षेत्रों के प्रति अभिभावकों को नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। राजनीति में लड़कियां भी सफल हो सकती हैं। इसलिए लड़कियों को इस क्षेत्र में अभिरूची हैं और मौका मिलता है तो उसको जरूर प्रोत्साहन देना चाहिए।

(xi) प्रतिदिन परिवार में बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए।

(xii) अपने बच्चों को विद्यालय में एक आम बच्चे के समान रहना सीखना चाहिए।

(xiii) बच्चों को जेबखर्च देने में अनुशासन और समानता रखना चाहिए। दिये गये पैसे का हिसाब मांगना चाहिए इससे बच्चें में बचपन से हिसाब रखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो

(xiv) बच्चों को पुरस्कार देने में समानता रखनी चाहिए। अच्छे कामों के लिए समान और योग्य पुरस्कार देना चाहिए।

(xv) अपने अधूरे सपनों को थोपने के स्थान पर बच्चों को उनके स्वप्न स्वयं ही निर्धारित करने में सहायक बनना चाहिए।

5.4 भविष्य के लिये सुझाव

प्रस्तुत शोधकार्य का सीमांकन गुजरात राज्य के संतरामपुर बाल्क के शिक्षित अभिभावकों तक मर्योदित था, किन्तु भविष्य में यह सीमांकन से बाहर पंचमहाल, जिले, गुजरात राज्य और देश के अभिभावकों को न्यादर्श के रूप में लेकर पी.एच.डी. के लिये संशोधन हो सकते हैं।

इसके सिवा भविष्य के लिए सुझाव निम्न लिखित हैं।

(i) अभिभावकों की सामाजिक स्थिति के आधार पर बच्चों के प्रति लैंगिक व्यवहार का अध्ययन।

(ii) अभिभावकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों के प्रति लैंगिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।

(iii) अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों के प्रति लैंगिक व्यवहार और अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

(iv) शिक्षित और अशिक्षित अभिभावकों के बच्चों के प्रति व्यवहार में लैंगिक पक्षपात का अध्ययन।

(v) सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त लैंगिक पक्षपात का अध्ययन करना।

(vi) कक्षा कक्ष में बच्चों के प्रति शिक्षकों के लैंगिक व्यवहार और अभिवृत्ति का अध्ययन।